अध्याय-I

मुख्य क्रियाकलाप

प्रस्तावना

1.1 **श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। इस मंत्रालय का मुख्य उत्तरदायित्व सामान्य तौर पर, उच्च उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए एक स्वस्थ कार्य-वातावरण को ध्यान में रखते हुए उन कर्मकारों के हितों की रक्षा करना है जो समाज के वंचित, उपेक्षित एवं निर्धन वर्गों के हैं, ऐसा करते समय उच्च उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए स्वस्थ कार्य माहौल सृजित करने तथा व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सेवाओं को विकसित करने और समन्वित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उदारीकरण प्रक्रिया के दृष्टिगत सरकार का ध्यान संगठित तथा असंगठित क्षेत्र दोनों में श्रम बल का कल्याण संवर्धन करने और सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने पर भी केन्द्रित है । इन उद्देश्यों को विभिन्न श्रम कानूनों के अधिनियमन एवं क्रियान्वयन से प्राप्त किया जाता है जो कर्मकारों की सेवा एवं नियोजन की शर्तों को विनियमित करता है। राज्य सरकारें भी विधानों को अधिनियमित करने के लिए सक्षम हैं क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत श्रम समवर्ती सूची का विषय है ।**

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम

1.2 जून, 2004 में सत्ता संभालने के पश्चात्, यू पी ए सरकार ने एक राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन सी एम पी) अंगीकार किया है । राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं :-

(क) किसानों, खेतिहर मजदूरों और श्रमिकों, विशेषकर जो असंगठित क्षेत्र में है, के कल्याण और खुशहाली को बढ़ाना और इनके परिवार के भविष्य को हर तरह से सुरक्षा का आश्वासन देना ।

(ख) यू पी ए सरकार खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानूनों का पूरी तरह से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी । सभी खेतिहर मजदूरों के लिए व्यापक संरक्षी विधान अधिनियमित किए जाएंगे।

(ग) यू पी ए सरकार बाल श्रम उन्मूलन के लिए प्रयास करेगी ।

(घ) इंस्पेक्टर राज को कम करने के लिए श्रम कानूनों की पुर्नजाँच करना।

(ङ) श्रम प्रबंधन संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए परामर्श, आम राय और सहयोग।

1.3 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निहित बिंदुओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

असंगठित क्षेत्र में ∧ ाम ξ ाारों ∧े हितों ∧ ी सुरƒ ाा ∧ ो सुािश्चित ∧ रो ∧े उद्देश्य से , जिसमें बुा∧ ार, हथ∧ रघा ∧ ा मξ ाार, मछुआरे और मछुआरिो, ताड़ी उतारो वाले, चर्म∧ ार, बξ ााा श्रमि∧ , बीड़ी ∧ ा मξ ाार और ∧ृषि ∧ ामξ ाार भी शामिल हैं, सर∧ ार ∧ ा इा ∧ ामξ ाारों ∧े लिए ए∧ व्याप∧ विधाा बााो हेतु प्रस्ताव है । श्रम और रोजξ ाार मंत्रालय ो च्असंξ ाठित ƒ ात्र ∧ ा मξ ाार विधेयक 2004छ प्रस्तावित किया था जिसमें अय बातों के साथ-साथ सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मामले के प्रावधाा की भी संकल्पाा है । इस विधेयक के प्रारूप को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एा.ए.सी) और राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग (ए-ा.सी.ई.यू.एस) सहित सभी पणधारियों को भेजा गया है । राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ो असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2005 ाामक एक मसौदा विधेयक प्रस्तुत कर दिया है । राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग ो भी दो विधेयक अर्थात (i) असंगठित क्षेत्र कामगार (कार्य और जीविका संवर्धा की शर्तें) विधेयक, 2005 तथा (ii) असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेय∧ , 2005 प्रस्तुत ि∧ ए हैं । सभी मसौदा विधेय∧ ों ∧ ी राज्य सर∧ ारों, ∧ेंद्रीय श्रमि∧ संघों, ाियोज∧ संξ ाठों और ξ ैर-सर∧ ारी संξ ाठों आदि ∧े परामर्श से जांच ∧ ी जा रही है ।

ासंξ ाठित ƒ ात्र ∧े ∧ ामξ ाारों ∧े लिए ∧ेंद्रीय विधाा 9-10 दिसम्बर, 2005 ∧ ो आयोजित भारतीय श्रम सम्मेला ∧े 40वें सत्र ∧ ी ∧ ार्यसूची ∧ ी ए∧ मद थी। विस्तृत विचार-विमर्श ∧े पश्चात्, भारतीय श्रम सम्मेला ो मसौदा विधेय∧ ∧ ी जांच ∧ रो और अतिम रूप दो ∧े लिए ए∧ त्रिपƒ ाीय समिति ξ ाठित ∧ रो ∧ ा ाि/ ाय लिया ।

मााीय प्रधाा मंत्री ∧े समƒ ा इस विषय पर 18.11.2005 ∧ ो ए∧ प्रस्तुती∧ र/ ा ि∧ या ξ ाया । एल.आई.सी ∧ ो शामिल ∧ र∧े आवर्ती ∧ ार्रवाई ∧ ी जा रही है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। रक्षा परियोजनाओं और केन्द्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों के कुछ फार्मों को छोड़कर अधिकांश कृषि श्रमिक राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुरूप, राज्य सरकारों से विशेषकर, कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को कड़ाई से मॉनीटर करने के लिए अनुरोध किया गया है। राज्यों से न्यूनतम मजदूरी लागू करने को मॉनीटर करने के लिए सिविल सोसाइटी को शामिल करने हेतु एक स्कीम तैयार करने का भी अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 के संघटकों में से एक बाल श्रम की उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों में उनकी पहचान करने, कार्य से हटाने तथा पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं (एन सी एल पी) शुरू करना है । जोखिम वाले क्षेत्रों में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सरकार की प्र ातिबद्धता के अनुसरण में, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम को 150 जिलों के अला वा जहां यह स्कीम पहले से ही लागू है, 100 और जिलों को दायरे में लेने के लिए बढ़ा दी गई है । इसके अलावा, बाल श्रम के बारे में 40 मिलियन अमरीकी डालर वाली परियोजना इन्डस (इंडो-यू एस संयुक्त परियोजना) शुरू की गई है ।

श्रम और रोजगार मंत्रालय केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र तथा राज्य सरकारों पर निरीक्षकों के अवांछनीय दौरों से संबंधित मौजूदा प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए जोर देता रहा है। स्व-प्रमाणा जैसे वैकल्पिक तरीकों के उपयोग का पता लगाया जा रहा है ।

ऐसी आवश्यकता महसूस की जाती है कि रजिस्टरों और विवरणियों की संख्या कम की जानी चाहिए ताकि इनका न्यूनतम श्रम बल का उपयोग करते हुए और लागत को कम करते हुए प्रबंधन किया जा सके और तेजी से बदल रहे बाजार में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उनकी ऊर्जा का उपयोग किया जा सके । इस मुद्दे को हल करने के लिए श्रम कानून (कतिपय प्रतिष्ठानों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत करने और रजिस्टरों के रख रखाव से छूट) अधिनियम, 1988 राज्य सभा में 22.08.2005 को प्रस्तुत किया गया है । इस प्रस्ताव में कतिपय श्रम कानूनों के अन्तर्गत रख-रखाव किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणियों के फार्मों और रजिस्टरों के सरलीकरण की संकल्पना है । संशोधित फार्मों का रख-रखाव कंप्यूटर में किया जा सकता है और प्रोफार्मा को ई-मेल द्वारा प्रेषित किया जा सकता है।

स्वस्थ औद्योगिक माहौल बनाने और निरीक्षक स्टाफ के अनावश्यक हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं :-

(i) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.)

संशोधित नीति में चूककर्ताओं के मामले में ही और जहां अनुपालन अनियमित है केवल वहीं जांच की अ वधारणा है । 250 से अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले प्रमुख नियोक्ताओं के मामले में ही नियमित वार्षिक जांच बनाए रखी गई है । जहां प्रतिष्ठानों को कवर न किए जाने के मामले में शिकायतें प्राप्त होती हैं अथवा नियमित सर्वेक्षण के दौरान ऐसा पता चलता है वहां निरीक्षण/जांच भी किए जाते हैं।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.)

इस समय केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाता है जिनके खिलाफ अपवंचन अथवा अनुपालन न किए जाने

की खास शिकायते हैं। ऐसे निरीक्षणों का वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा आदेश दिया जाता है जो निरीक्षको को कार्य सौंपते हैं ताकि किसी विशेष प्रतिष्ठान का दौरा करने के लिए निरीक्षकों की ओर से पूर्व-निर्णीत कार्रवाई योजना का मौका न रहे। निरीक्षकों के स्थानिक क्षेत्राधिकार को अब समाप्त कर दिया गया है और अब उन्हें मूल्यांकक सर्किल अधिकारियों द्वारा जिनके साथ निरीक्षकों को संबद्ध किया गया है, यथानिर्णीत विशेष रूप से सौंपे गए मामलों के निरीक्षण के लिए ही लगाया जाता है ।

(iii) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) (सी.एल.सी.(सी)

आई टी सॉफट्वेयर और आई टी सेवा उद्योगों के संबंध में, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सलाह दी है कि आई टी सॉफ्टवेयर और आई टी सेवा उद्योगों के नियमित और आवधिक निरीक्षण जरूरी नहीं है क्योंकि इन आई टी उद्योगों द्वारा लगाए गए कर्मचारी सामान्य तौर पर योग्य होते हैं और इसलिए उनके हितों का संरक्षण करने और संवर्धन करने की बेहतर स्थिति में होते हैं। तथापि, विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत नियोजक द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के माध्यम से इन प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों का प्रवर्तन किया जा रहा है।

त्रिपक्षीयता को सुदृढ़ बनाना

1.4 श्रम और रोजगार मंत्रालय सदैव देश में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध संवर्धित करने का प्रयास करता रहा है । सरकार त्रिपक्षीयता के लोकाचार और संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध होने की वजह से इसको पुनर्जीवित करने के लिए सदैव प्रयास करती रही है । मंत्रालय नए कानून बनाने अथवा मौजूदा कानूनों में परिवर्तन करने के लिए आमराय हासिल करने हेतु सामाजिक भागीदारों के साथ परामर्श करती रही है। मंत्रालय का उद्देश्य श्रमजीवी वर्ग के लिए नीतियां बनाने में सभी सामाजिक भागीदारों के विचारों में तारतम्य बिठाना है । तदनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष के दौरान विभिन्न समितियों/बोर्डो की कई त्रिपक्षीय बैठकों का आयोजन किया जिनमें अन्यों के साथ-साथ शामिल हैं :-

(i) भारतीय श्रम सम्मेला ^ा 40वां सत्र 9-10 दिसम्बर, 2005 ^ो आयोजित ि^या ेाया ।

(ii) ^ेंद्रीय यासी बोर्ड ^ी बैठ^ 21.11.2005 और 07.12.2005 ^ो आयोजित ^ी ेाई ।

(iii) ^ेंद्रीय श्रमि^ शिfाा बोर्ड ^े यासी ाि^ाय ^ी बैठ^ें 15.09.2005 और 25.10.2005 ^ो आयोजित ^ी ेाई ।

(iv) ौद्योिेा^ ^ामेाारों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की ाई श्रंखला जारी करो के लिए 19-20 मई, 2005 को एक

राष्ट्रीय स्तर की उपभोक्ता त्रिपक्षीय बैठक

(v) श्रम काूाा (कतिपय प्रतिष्ठाााें द्वारा विवरणियां प्रस्तुत करो और रखरखाव से छूट) संशोधा तथा प्रकीर्ण विधेयक, 2005 के प्रावधाााें के बारे में ाियोजकों और कामगारों का विचार जााा हेतु 23.01.2006 को एक बैठक का आयोजा ।

(vi) प्रबंधा में कामगारों की सहभागिता और भारत में ब्रिकी प्रतिाािधियों ∧े मुद्दें संबंधी त्रिप ीय समिति ∧ी 14.02.2006 ∧ो बैठ∧ ∧ा आयोजा।

(vii) भवा और अय ािर्मा ा ∧ाम ाार (रोज ाार और सेवा शर्तों ∧ा विाियमा) अधिाियम, 1996 ∧े अत ात ∧ेद्रीय सलाह∧ार समिति ∧ी बैठ∧ ∧ा 14.02.2006 ∧ो आयोजा ।

1.5 इस प्रकार, मंत्रालय सही मायनों में श्रम-प्रबंधन संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए त्रिपक्षीय परामर्श प्रक्रिया का अनुसरण कर रहु है । इस संदर्भ में श्रम सुधार और ूातम मजदूरी ∧ी 2005 में आयोजित बैठ∧ें महत्वपू ा थीं ।

1.6 त्रिपक्षीयता के लो∧ ाचार और संस्कृति के अनुपालन के माध्यम से कामगारों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के संवर्धन, संरक्षण और परीक्षण के लिए कई अन्य विधायी और कार्यकारी पहल भी किए गए हैं । इस संबंध में वर्ष के दौरान की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें सारांश रूप में नीचे प्रस्तुत हैं :--

औद्योगिक संबंध

1.7 सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध की स्थिति बनाए रखना श्रम और रोज ाार मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है । केन्द्रीय एवं राज्य दोनों औद्योगिक संबंध तंत्रों के लगातार प्रयासों से समग्र औद्योगिक संबंध माहौल शान्तिपूर्ण एवं समरस बना रहा । हड़तालें और तालाबंदियों की घटाा की संख्या 1997 में 1305 से घटकर 2004 में 477 रह गई और इस अवधि के दौराा गिरावट का रुख रहा । तथापि, इा व्यवधाााें क ी वजह से ाुकसाा हुए श्रम दिवस की संख्या 1997 में 16.97 मिलिया से बढ़∧र 2004 में 23.87 मिलिया हो ाई । इस अवधि ∧े दौराा इस में अतर दि ाा ।

1.8 इसी प्रकार, जहाँ त∧ हड़तालों एवं तालाबंदियों और इसके परिणामस्वरूप अन्तर्ग्रस्त/प्रभावित कामगारों की संख्या, स्थान-वार/उद्योग-वार विवरण ∧ा संबंध है,

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और केरल सर्वाधिक प्रभावित राज्य थे जबकि उद्योग समूहों में वस्त्र, इंजीनियरिंग और रसायन में हड़तालों एवं तालाबंदियों की अधिक संख्या दर्ज की गई ।

1.9 मौजूदा न्यायनिर्णय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, बाईस केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम-न्यायालय धनबाद (झारखंड), मुम्बई, नई दिल्ली और चण्डीगढ़ (प्रत्येक में दो न्यायालय) तथा कोलकाता, जबलपुर, कानपुर, नागपुर, लखनऊ, बंगलोर, जयपुर, चेन्नै, हैदराबाद, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, एर्णाकुलम, आसासोल तथा गुवाहाटी में एक-एक न्यायालय कार्यरत है । इस मंत्रालय ने भी औद्योगिक विवादों के लम्बित रहने की स्थिति को कम करने के लिए केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों की न्याय निर्णय प्रणाली में लोक अदालतों की प्रथा भी शुरू की है । इस मानक तत्र के माध्यम से 937 मामले निपटाए गए हैं ।

भारतीय श्रम सम्मेलन

1.10 भारतीय श्रम सम्मेलन का 40 वां सत्र 9-10 दिसम्बर, 2005 को आयोजित किया गया । कार्य सूची में शामिल था :-

- **(i)** **कृषि क्षेत्र सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों की शर्तों, सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभों के दायरे को लेते हुए सामाजिक सुरक्षा और ;**
- **(ii)** **श्रम कानूनों का संशोधन ***

1.11 भारतीय श्रम सम्मेलन ने असंगठित क्षेत्रीय में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मसौदा विधान की जांच करने और अतिम रूप देने हेतु एक त्रिपक्षीय कार्यकारी समिति गठित करने का निर्णय लिया ।

कमजोर वर्ग
बाल श्रमिक

1.12 सरकार ने अगस्त, 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घोषित की थी। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अंतर्गत (i) एक विधायी कार्य योजना; (त्त) जहां कहीं संभव हो, बच्चों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों पर जोर देना; (iii) मजदूरी/अर्ध मजदूरी वाले रोजगार में लगे बाल श्रमिकों की अधिकता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्रवाई योजनाएं सम्मिलित हैं । राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 का एक घटक बाल श्रम की अधिकता वाले क्षेत्रों में बच्चों की पहचान करने, कार्य से हटाने तथा पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को शुरू करना है । बच्चों के पुनर्वास हेतु उनके लाभों के पैकेज में अनौपचारिक/औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, स्वास्थ्य देख-रेख, छात्रवृत्ति आदि शामिल हैं । अन्य क्रियाकलापों में बाल श्रम से संबंधित कानूनों को और अधिक कड़ाई से प्रवर्तित

किया जाना, बाल श्रम की बुराई के विरुद्ध जागरूकता लाना तथा कल्याण सुविधाओं को बाल श्रमिकों पर लागू करना है । जोखिमकारी क्षेत्रों में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसरण में, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम का विस्तार किया गया है ताकि 150 जिलों के अतिरिक्त जहां योजना पहले से ही प्रचलन में है, 100 और जिलों को इसके दायरे में लाया जा सके ।

1.13 इसके अतिरिक्त, बाल श्रम पर 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाली इंडस परियोजना (भारत-अमेरिका संयुक्त परियोजना) प्रारम्भ की गयी है। इस परियोजना को अमेरिका राज्य के श्रम विभाग तथा अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा ताकि 4 राज्यों में पहचान किए गए 20 जिलों के 10 जोखिमकारी उद्योगों और राष्ट्रीय राजधाानी क्षेत्र दिल्ली में बाल श्रम का उन्मूलन किया जा सके। सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत, स्वयंसेवी एजेंसियों को कामकाजी बच्चों हेतु कल्याण परियोजनाएं प्रारम्भ करने के लिए परियोजना लागत की 75 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जहां उन्हें अनौपचारिक शिक्षा, अनुपूरक पोषणाहार, स्वास्थ्य देख-रेख तथा व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । इसका उद्देश्य दसवीं योजाा के अंत तक जोखिमकारी क्षेत्रों से बाल श्रम का उन्मूलन करना है ।

महिला श्रमिक

1.14 सरकार, महिला कामगारों की कामकाजी दशाओं में सुधार लाने के लिए कृतसंकल्प है । इस दिशा में, कार्यस्थलों में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिये दिशा-निर्देश तैयार किये गये हैं। साथ ही, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों एवं सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को इन दिशा-निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार तथा अखिल भारतीय सेवाओं पर लागू आचार नियमावली में हाल ही में संशोधन किया गया है । इन दिशा-निर्देशों को निजी क्षेत्र में कर्मचारियों पर भी लागू करने के लिए औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 में भी संशोधन किया गया है ।

1.15 औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियमावली, 1946 में यह प्रावधान करने के लिए आगे संशोधन करने के लिए कि यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत की जांच-पड़ताल करने के लिए प्रत्येक प्रतिष्ठान में गठित शिकायत समिति की रिपोर्ट को इन नियमों के प्रयोजन हेतु नियोजक द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी माना जाए, को 19.01.2006 को अधिसूचित कर दिया गया है ।

बंधुआ श्रमिक

1.16 भारत में ऋण दासता की प्रथा की उत्पत्ति सामंतवादी तथा अर्ध-सामंतवादी

परिस्थितियों के कारण हुई । बंधुआ श्रमिकों ^ ा मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में उस समय उभरकर आया जब इसे 1975 में पुराने 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया । इसे क्रियान्वित करने के लिए, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन), अध्यादेश प्रतिस्थापित किया गया था। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत इसके कार्यान्वयन की नियमित रूप से मॉनीटरिंग तथा समीक्षा की जाती है ।

1.17 मुक्त करवाए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के कार्य में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मई, 1978 में 50:50 के ि वत्तपोषण के आधार पर केन्द्र द्वारा प्र ायोजित एक योजना प्रारम्भ की । इस योजना के अंतर्गत, प्रति बंधुआ श्रमिक 20,000/-रुपये की पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है। संशोधित योजना में राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है ताकि बंधुआ श्रमिकों का सर्वेक्षण करवाया जा सके, जागरुकता सृजन ^ुर्यकलाप तथा प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके । इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को 31.12.2005 तक 2,66,618 बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 6861.30 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गयी है ।

सामाजिक सुरक्षा

1.18 सरकार ने कामगारों के लिये सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक विधान अधिनियमित किये हैं । इस संबंध में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; उपदान संदाय अधिनियम, 1972 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 महत्वपूर्ण हैं । इन अधिनियमों के अंतर्गत कामगारों को और अधिक लाभ प्रदान करने के लिये हाल ही में अनेक पहलें की गयी हैं जिसका ब्यौरा निम्नवत् है :-

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

1.19 रुग्णता, प्रसूति एवं रोजगार जनित चोटों के मामले में स्वास्थ्य देख-रेख तथा नकद लाभों की व्यवस्था करने के लिये, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में बनाया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम वर्ष 1952 में प्रारम्भ की गयी कर्मचारी राज्य बीमा योजना कार्यान्वित कर रहा है । इसकी उपलब्धियां इस प्रकार है :-

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 01.04.2004 से मजदूरी की अधिकतम सीमा को 6500/- रुपये से बढ़ाकर 7500/- करने के बाद लगभग 1.25 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को अपने दायरे में ले लिया है। इसी प्रकार, 1.4.2005 से 31.12.2005 तक 57 नए भौगोलिक क्षेत्रों पर योजना का ि वस्तार करने से लगभग 1,00,110 कर्मचारी इसमें शामिल करने योग्य हैं । इन दो उपायों से, देश में कर्मचारी राज्य बीमा लाभार्थियों की कुल संख्या 31.03.2004 से 70.82 ला ? ा से बढ़ ^ र 31.13.2005 की स्थिति के

अनुसार, 75.70 लाख हो गयी और लाभार्थियों की संख्या 31.3.2004 में 3.07 करोड़ से बढ़कर 31.3.2005 तक 3.29 करोड़ रूपये हो गई है ।

- वर्तमान में, कर्मचारी राज्य बीमा योजना कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2(12) के अंतर्गत शामिल किए गए सभी कारखानों तथा पांच अन्य प्रकार की सेवाओं अर्थात्, (i) दुकानों (ii) होटल और रेस्त्राओं (iii) सिनेमा तथा प्रिब्यू थिएटरों (iv) सड़क मोटर परिवहन उपक्रमों और (v) समाचार पत्र प्रतिष्ठान इस अधिनियम की धारा 1(5) के अतर्गत पर लागू होती है । तथापि, इस योजना को नए क्षेत्रों पर लागू किये जाने की आवश्यकता है ताकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत उपलब्ध ढांचा तथा अन्य सुविधाओं अर्थात् शैक्षिक संस्थाओं, स्वास्थ्य देख-रेख उद्योग आदि का भरपूर उपयोग किया जा सके ।

1

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना का 76 नए स्थानों पर विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें से 01.04.2005 से 31.12.2005 के दौरान 57 क्षेत्रों को कवर कर लिया गया है । 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में लिए गए केन्द्रों की कुल संख्या 718 है ।

- कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शैक्षणिक संस्थाओं पर विस्तार करने के निर्णय के अनुरूप, राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (5) के अंतर्गत एक अधिनियम जारी किया जाना अपेक्षित है, वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :-

(क) वे राज्य जिन्होंने इस अधिनियम की धारा 1(5) के अंतर्गत अंतिम अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं :- राजस्थान, बिहार, पांडिचेरी, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ तथा जम्मू एवं कश्मीर ने शैक्षणिक संस्थाओं पर कवरेज का विस्तार करने के लिए क्रमशः 26.10.2004, 01.05.2005, 12.07.2005, 21.09.2005, 27.10.2005 तथा 25.11.2005 को अंतिम अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं ।

(ख) वे राज्य जिन्होंने इस अधिनियम की धारा 1(5) के अंतर्गत आशयित अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं :- कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने इस योजना का शैक्षणिक संस्थाओं पर विस्तार करने के लिए क्रमशः 31.01.2004, 12.01.2005 तथा 11.05.2005 को धारा 1(5) के अंतर्गत आशायित अधिसूचनाएं जारी की है तथा ये राज्य अंतिम अधिसूचनाएं जारी करने की कार्रवाई कर दी है । मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकारों ने भी इस अधिनिय

म की धारा 1(5) के अंतर्गत आशयित अधिसूचना जारी करने के लिए क्रमशः 29.11.2004 तथा 02.01.2006 को केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ।

- निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना को निजी चिकित्सा संस्थाओं पर लागू करने का भी अनुमोदन कर दिया है । आदिनांक, पश्चिम बंगाल सरकार ने आशयित अधिसूचना 30.11.2005 को जारी की है । हिमाचल प्रदेश, पांडिचेरी, राजस्थान तथा उत्तरांचल ने आशयित अधिसूचना जारी करने के लिए क्रमशः 07.12.2005, 28.10.2005, 07.12.2005 तथा 21.12.2005 को अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने प्रथम बार आयुर्वेदिक दवाइयों को खरीदने के लिए ठेका दरें तैयार की और 16.09.2004 से उन्हें अन्तिम रूप दिया । इन्हें देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के आयुर्वेदिक औषधालयों तथा अन्य चिकित्सा संस्थाओं द्वारा लागू किया जाएगा ।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे एड्स निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभावित कामगारों को प्रतिवर्ष प्रति मरीज के हिसाब से लगभग 15,000/-रुपये की लागत की रेट्रोवाइरल दवाइयां निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम देश में उन गिने-चुने संगठनों में से एक है जो एच.आई.वी./एड्स के रोगियों को इतनी महंगी दवाइयां प्रदान करता है। यह दिल्ली, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हुआ है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एच.आई.वी./एड्स के लिए 35 स्वैच्छिक परामर्शी तथा जांच केन्द्रों के लिए भी उपस्करों की खरीद तथा आपूर्ति की है । इसके अलावा, 42 एस.टी.डी. केन्द्रों की स्थापना की गयी है ।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 07.07.2005 को आयोजित अपनी 133वीं बैठक में पूरे देश में आंचलिक श्रेष्ठ विशेषज्ञता केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

1.20 अधिनियम में, अधिसूचित उद्योगों में 20 या उससे अधिक कर्मचारी नियुक्त करने वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों में अनिवार्य भविष्य निधि, पेंशन और जमा सम्बद्ध बीमा हेतु प्रावधान है। इस अधिनियम को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों द्वारा 4.98 लाख कारखानों/प्रतिष्ठानों में इसके 283 क्षेत्र कार्यालयों और 20065 कर्मचारियों के माध्यम से लागू किया जाता है । 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार, 4.11 करोड़ कर्मचारी इस योजना में शामिल हैं । निकट भविष्य में योजना के दायरे में लगभग 5 करोड़ लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया हे । कर्मचारियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए हाल के वर्षों में अनेक सुधार किए गए हैं ।

1.21 "री-इन्वेंटिंग ई.पी.एफ., इंडिया" नामक परियोजना का एक महत्वपूर्ण तत्व है एक राष्ट्रीय अद्वितीय सामाजिक सुरक्षा संख्या प्रदान करना, जो सतत् और स्थायी रहता है । इसका अभिप्राय है भौगोलिक स्थिति अथवा नियोजक को ध्यान में रखे बिना श्रम बल के प्रत्येक सदस्य के लिए एक स्थायी संख्या तथा एक खाता । यह अंशदाता की अनूठी विशेषताओं पर आधारित 14 (चौदह) अंक का एक संख्या होती है तथा इस अद्वितीय संख्या को 'राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संख्या' नाम दिया गया है । अभी तक 29,04,811 अभिलेखों को संसाधित किया गया है, जिसमें से 28,78,593 राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संख्या का सृजन किया गया है । राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संख्या का आबंटन एक अनवरत प्रक्रिया है ।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना

1.22 "असंगठित श्रमिक" के रूप में उन कामगारों को परिभाषित किया गया है जो कतिपय बाधाओं जैसे रोजगार का नैमित्तिक स्वरूप, अज्ञानता और निरक्षरता, प्रतिष्ठानों का छोटा और बिखरा हुआ आकार इत्यादि के कारण अपने साझा हितों को प्राप्त करने में स्वयं को संगठित नहीं कर सके हैं ।

1.23 वर्ष 1999-2000 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल रोजगार 39.7 करोड़ था। इसमें से, लगभग 2.8 करोड़ संगठित क्षेत्र में और शेष 36.9 करोड़ असंगठित क्षेत्र में थे । असंगठित क्षेत्र के 36.9 करोड़ कामगारों में से 23.7 करोड़ कामगार कृषि क्षेत्र, 1.7 करोड़ निर्माण क्षेत्र, 4.1 करोड़ विनिर्माण कार्यकलापों और व्यापार तथा परिवहन, संचार और सेवाओं प्रत्येक में 3.7 करोड़ कामगार थे। असंगठित क्षेत्र के कामगार विभिन्न श्रेणियों में आते हैं किन्तु उनमें से बड़ी संख्या में गृह आधारित कामगार हैं जो बीड़ी लपेटने, *अगरबत्ती* बनाने, *पापड़* बनाने, वस्त्र सिलाई, *जरी* और कशीदाकारी के कार्य में लगे हैं ।

1.24 असंगठित कामगारों को रोजगार की अत्यधिक अनियमितता, औपचारिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों का न होना और सामाजिक सुरक्षा संरक्षण की कमी के कुचक्र का सामना करना पड़ता है । अनेक विधान जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू हैं। सरकार ने बीड़ी लपेटने इत्यादि जैसे व्यवसायों में लगे कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ कल्याण निधियों का भी गठन किया है । स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इत्यादि जैसी कुछ रोजगार-परक योजनाएं हैं । सरकार ने जनश्री बीमा योजना जैसी समूह बीमा योजना भी आरंभ की है । इन पहलों के बावजूद, असंगठित

क्षेत्र के कामगारों की कार्य और रहन-सहन दशाएं दयनीय बनी रहीं ।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए व्यापक विधान

1.25 द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (1999-2002) ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए संरक्षण का एक न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ि वधान का सुझाव दिया है । सरकार, असंगठित क्षेत्र के कामगारों की रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन करने के लिए और उन्हें सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देख-रेख प्रदान करने हेतु एक विधान लाने का विचार कर रही है । इस प्र स्ताव पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एन.ए.सी.) और असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग सहित सामाजिक भागीदारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

श्रम कल्याण निधियां

1.26 श्रम और रोजगार मंत्रालय, बीड़ी, सिने और गैर-कोयला खान कामगारों की कतिपय श्रेणियों के लिए पांच कल्याण निधियां प्रशासित कर रहा है । इन कामगारों के कल्याण के लिए संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत निधियों की स्थापना की गई है :

- अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम,1946;
- चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 ;
- लौह अयस्क, मैगनीज़ अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम,1976;
- बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 ; और
- सिने कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 ।

1.27 उपर्युक्त अधिनियमों में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार उन उपायों और सुविधाओं से संबंधित व्यय की पूर्ति के लिए निधि का उपयोग कर सकती है जो ऐसे कामगारों के कल्याणार्थ आवश्यक हैं । उपर्युक्त अधिनियमों में दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक कल्याण योजनाएं बनायी गयी हैं और निम्नलिखित क्षेत्रों में चलायी जा रही है :-

11. स्वास्थ्य
22. सामाजिक सुरक्षा
33. शिक्षा
44. आवास
55. मनोरंजन
66. जल आपूर्ति

बीड़ी कामगारों और अन्य गैर-कोयला खान कामगारों के लिए एकीकृत आवास योजना

1.28 25 मई, 2005 से एक नयी संशोधित एकीकृत आवास योजना, 2005 कार्यान्वित की जा रही है । इसके अंतर्गत निर्माण की लागत को 40,000/-रुपये की

केन्द्रीय आर्थिक सहायता और कामगार के प्रति मकान अंशदान 5,000/-रुपये से पूरा करना होता है । क्रियान्वयन एजेन्सी राज्य सरकारें होंगी जो संबंधित जिलाधीश के माध्यम से पात्र कामगारों की पहचान करेंगी, प्रस्तावों को एकत्र करके, उनकी छानबीन करके प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों के श्रम सचिव के माध्यम से उसे महानिदेशक श्रम कल्याण (डी जी एल डब्ल्यू) को भेजेंगी ।

बीड़ी कामगारों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुदान योजना

1.29 सरकार ने हाल ही में प्रायोगिक आधार पर सभी राज्य सरकारों/क.रा.बी.नि./आवासीय सहकारी समिति/प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि को 2 करोड़ रुपये या अस्पताल भवन के निर्माण की वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या चिकित्सा उपकरणों की लागत सहित, जो भी कम हो, की एकमुश्त अनुदान राशि प्रदान करने के लिए एक योजना आरंभ की है। इसी प्रकार चिकित्सा/लेपरोस्कोपिक उपकरणों इत्यादि सहित एम्बुलैन्स/मोबाइल वैन की खरीद के लिए 4 लाख रुपये तक एकमुश्त सहायता-अनुदान भी उपलब्ध होगा। इसके साथ-साथ दवाइयों पर व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक की राशि भी उपलब्ध होगी।

न्यूनतम मजदूरी

1.30 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। न्यूनतम मजदूरी अब तक, कामगारों को सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान कर रही है। अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अनुसूचित नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित, संशोधित, उसकी समीक्षा और भुगतान का प्रवर्तन करने के लिए समुचित सरकारें हैं । केन्द्रीय क्षेत्र में 45 और राज्य क्षेत्र में 1530 अनुसूचित नियोजन हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में अधिनियम का प्रवर्तन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। राज्य/संघ शासित सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नियोजनों के संबंध में अधिनियम का प्रवर्तन राज्य तंत्र द्वारा सुनिश्चित किया जाता है ।

1.31 मुद्रास्फीति के प्रति मजदूरी का संरक्षण करने के लिए, केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध परिवर्ती मंहगाई भत्ते (वी डी ए) का प्रावधान किया है। जहां तक राज्य/संघ शासित प्रशासनों का संबंध है, उनमें से 25 ने वी डी ए को न्यूनतम मजदूरी का एक संघटक बना दिया है। केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा समय-समय पर इन अनुसूचित नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी का संशोधन किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में पिछली बार 01.10.2005 से दरों में संशोधन किया गया था।

1.32 यद्यपि, एकसमान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की संकल्पना पर पिछले कई वर्षों से विभिन्न मंचों पर चर्चा की गई है, परन्तु इसे अभी पूर्ण रूप से व्यवहार में नहीं लाया गया है । न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण ि वभिन्न कारकों अर्थात् आय, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों, उत्पादकता, भुगतान की क्षमता एवं स्थानीय परिस्थितियों आदि के आधार पर किया जाता है। चूंकि ये शहर-दर-शहर एवं उद्योग-दर-दद्योग बदलती रहती हैं, अतः देशभर में मजदूरी में असमानता है । एक समान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के अभाव में, केन्द्र सरकार ने एक राष्ट्रीय सतही स्तर (फ्लोर लेवल) की मजदूरी शुरू की है । प्रारंभ में, इसे 1991 में गठित राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों एवं तत्समय मूल्य दर में वृद्धि के आधार पर वर्ष 1996 में 35/- रुपये प्र ातिदिन निर्धारित किया गया था । सतही न्यूनतम मजदूरी में आवधिक संशोधन किया जाता है, जिसमें आखिरी बार संशोधन 01.02.2004 से 66/-रुपये प्रतिदिन किया गया था । राज्य सरकारों पर समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए जोर दिया जाता है कि किसी भी अनुसूचित नियोजन में न्यूनतम मजदूरी सतही स्तर से कम न हो । अधिकांश राज्यों ने राष्ट्रीय सतही मजदूरी के परिप्रेक्ष्य में अपनी न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन किया है ।

श्रम कानूनों की समीक्षा

1.33 श्रम, संविधान की समवर्ती सूची में शक्तियों के प्रत्यायोजन में आता है। अतः, केन्द्र एवं राज्य दोनों ही इस मामले में ि वधान बना सकते हैं और इस प्रकार कानूनों में बहुलता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार केन्द्र और राज्य दोनों इस क्षेत्र में कानून बना सकते हैं और इससे कानूनों की बहुलता को बढ़ावा मिला है । श्रम से संबंधित 47 विधानों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित किया जाता है, में न्यूनतम मजदूरी, दुर्घटना लाभ, कामगार की मृत्यु, प्रसूति, रोजगार की परिस्थितियों, अनुशासनात्मक कार्रवाई, मजदूर संघों का गठन, औद्योगिक संबंध आदि शामिल हैं।

1.34 श्रम कानूनों की समीक्षा /अद्यतनीकरण एक सतत् प्रक्रिया है, जो कि मौजूदा परिस्थिति एवं पणधारकों की उभरती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनसे तालमेल बनाए रखने के लिए की जाती है।

1.35 वर्तमान में, विभिन्न श्रम कानूनों में संशोधन/अद्यतनीकरण की स्थिति निम्नवत् हैः-

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

1.36 पहले यह अधिनियम 1600/-रुपये प्रतिमाह तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू किया गया था ।

1.37 इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करने तथा और अधिक प्रभावी प्रवर्तन के लिए, मजदूरी संदाय अधिनियम,1936 को दिनांक 8 सितम्बर, 2005 के संशोधन अधिनियम संख्या 2005 का 41 के द्वारा संशोधित तथा दिनांक 8 नवम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या सां.आ. 1577 (अ.) के द्वारा 8 नवम्बर, 2005 से प्रवर्तित किया गया है । संशोधित प्रावधानों में इस

अधिनियम की अनुप्रयोज्यता हेतु मजदूरी की अधिकतम सीमा को 1600/-रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 6500/-रुपये किया जाना और भविष्य में अधिसूचना द्वारा अधिकतम सीमा में बढ़ोत्तरी करने हेतु सरकार को शक्तियां प्रदान किया जाना शामिल है ।

श्रम कानून (कतिपय प्रतिष्ठानों को विवरणियां प्रस्तुत करने और रजिस्टर रखने से छूट) अधिनियम, 1988

1.38 इस अधिनियम के अंतर्गत रिटर्न फार्मों और कतिपय श्रम कानूनों के अधीन निर्धारित रजिस्टरों के सरलीकरण के लिए संशोधन किए जाने तथा अनुसूचित अधिनियमों में संशोधन करके रिकार्डों में अवरोध तथा रख-रखाव न करने इत्यादि के लिए एक समान आधार पर जुर्माने के लिए राज्य सभा में 22 अगस्त, 2005 को एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया है। ऐसा प्रस्ताव है कि यह अधिनियम उन प्रतिष्ठानों पर लागू हो जिनमें 19 के विपरीत 500 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों और अधिनियम के कवरेज की संख्या 9 से बढ़ाकर 16 कर दी जाए । ऐसा अनुमान है कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तुत किए गए सरलीकृत फार्मों के माध्यम से नियोक्ताओं को रजिस्टरों के रख-रखाव एवं विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत रिटर्न जमा करने में काफी सहूलियत होगी । रजिस्टरों का रख-रखाव कम्प्यूटरों पर किया जा सकता है तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से भेजी जा सकती है।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

1.39 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में संशोधन का एक प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके माध्यम से चिकित्सा बोनस को बढ़ाने एवं केन्द्र सरकार को समय-समय पर चिकित्सा बोनस को बढ़ाने हेतु अधिकार दिया जाना है।

उपदान संदाय अधिनियम, 1972

1.40 अधिनियम के दायरे में शिक्षकों से संबंधित मामलों को विनिर्दिष्ट करने एवं वर्गीकृत किए जाने हेतु इस अधिनियम में एक संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

कारखाना अधिनियम, 1948

1.41 महिलाओं को उनकी सुरक्षा, गरिमा, सम्मान तथा कारखाना परिसरों से नजदीकी निवास स्थल से ले जाने और वहां तक छोड़ने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रिकालीन पारियों के दौरान नियोजन हेतु लोचनीयता का प्रावधान करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 में संशोधन करने संबंधी विधेयक को लोक सभा में 16 अगस्त, 2005 को पुरःस्थापित किया गया था ।

बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976

1.42 केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अन्य उद्योगों में कार्यरत बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के आंकड़े प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है ताकि इस अधिनियम को उन उद्योगों में विस्तारित करने में सुविधा हो।

सिने कामगार और सिनेमा थियेटर कामगार (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1981

1.43 (i) सिने कामगार को मासिक मजदूरी या एक मुश्त रूप में देय मजदूरी सीमा को बढ़ाने हेतु सरकार को शक्तियां प्रदान करने (ii) फीचर फिल्म की परिभाषा को विस्तृत करते हुए टेलीवीजन धारा वाहिकों को सम्मिलित करने और (iii) धारा 16 के अनुसार तीन फीचर फिल्मों में काम करने की शर्तों को कम करने का प्रावधान करने के लिए सिने कामगार और सिनेमा थियेटर कामगार (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1981 में संशोधन करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

बोनस संदाय अधिनियम, 1965

1.44 द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश के अनुसार बोनस की पात्रता की गणना करने और बोनस का परिकलन करने के लिए दो मजदूरी सीमाओं को क्रमशः 3500/-रुपये से बढ़ाकर 7500/-रुपये और 2500/-रुपये से बढ़ाकर 3500/-रुपये करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

1.45 सुविधाओं की कवरेज को विस्तारित करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का एक प्रस्ताव श्रम और रोजगार मंत्रालय के विचाराधीन है ।

मणिसाना मजदूरी बोर्ड

1.46 मणिसाना मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम एवं रोजगार सलाहकार की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय स्तर की मानीटरिंग समिति की अब तक 08.03.2002, 13.11.2002, 06.06.2003 28.1.2004 तथा 11.08.2005 को पांच बैठकें हो चुकी हैं ।

1.47 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचाट के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए, केन्द्रीय स्तर की मानीटरिंग समिति ने अब तक 10-12 जुलाई, 2003 के दौरान असम में गुवाहाटी, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, उड़ीसा में भुवनेश्वर, 26-27 अक्तूबर, 2005 के दौरान मध्य प्रदेश में भोपाल तथा इंदौर एवं 4-6 जनवरी, 2006 के दौरान आंध्र प्रदेश में हैदाबाद का दौरा किया है ।

व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (ओ.एस.एच.)

1.48 भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित उपबंधों को खान सुरक्षा महानिदेशालय और कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय के कार्यालयों के माध्यम से लागू किया जा रहा है । खान सुरक्षा

महानिदेशालय, खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षकों के माध्यम से खनन उद्योग में कामगारों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य उपबंधों को लागू करता है । कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय अपने गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय के माध्यम से गोदियों में सुरक्षा प्रावधानों को लागू करता है और विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत कारखाना निरीक्षणालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय एजेंसी के रूप में भी काम करता है।

1.49 व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाएं/प्रयास निम्नलिखित हैं :-

- श्रम और रोजगार मंत्रालय, खनन उद्योग में कामगारों के लिए प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार तथा विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान कर रहा है ।

- प्रधाामंत्री श्रम पुरस ^ ार ^`द्र और राज्य सर ^ ारों ^` विभा ३ ों/सार्वजाि ^ ƒ ोत्र उप ^ मों और ाजिी ƒ ोत्र में 500 या उससे अधि ^ ^ ाम ३ ाार ाियोजित ^ रो वाली विार्मा ੭ ा इ^ ाईयों में ाियोजित ^ र्म ^ ारों ^ ो उा ^` ^ ार्य ि-ाष्पादा, ^ ार्य ^` प्रति समर्प ੭ ा इत्यादि ^ ो मायता प्रदाा ^ रो ^` रूप में दिए जाते हैं। वर्ष 2004 ^` लिए मार्च, 2005 में घोषित प्रधाामंत्री श्रम पुरस ^ ार शीघ्र ही आयोजित होा वाले एक पुरस्कार वितरण समारोह में माााीय प्रधाामंत्री द्वारा 6 महिलाओं सहित 45 कामगारों को दिए जाएंगे।

- विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (वी आर पी) किसी कामगार या कामगारों के स मूह को उाके उत्कृष्ट सुझावों जिससे उत्पादकता, सुरक्षा और स्वास्थ्य, में सुधार हुआ हो व साथ ही आयात विकल्प जिसके परिणास्वरूप विदेशी मुद्रा में बचत हुयी हो, के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (ए एस ए) कारखााा अधिायिम, 1996 क` दायरे में आा वाले औद्योगिक प्रतिष्ठााों, गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिायिम, 1986 और भवा और अय ार्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विायिमा) अधिायिम, 1996 के अंतर्गत शामिल कामगारों द्वारा अच्छी सुरक्षा ाष्पादा को मायता देते हुए प्रदा किए जाते हैं। श्री के एम साहाी, के-द्रीय श्रम और रोजगार सचिव ो विज्ञाा भवा, ाई दिल्ली को 17.9.2005 को आयोजित एक समारोह में वर्ष 2004 के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदाा किए ।

- राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खाा) खाा अधिायिम, 1952 के अंतर्गत कवर ख ाों में उत्कृष्ट सुरक्षा कार्य ाष्पादा की पहचाा के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदाा किए जाते हैं। वर्ष 2002और 2003 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा

पुरस्कारों (खाा) को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इहें शीघ्र ही वितरित किया जााा है।

केद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

1.50 1958 में स्थापित केद्रीय शिक्षा बार्ड, एक त्रिपक्षीय संस्था है जो राष्ट्रीय क्षेत्रीय और इकाई/गांव स्तर पर कामगार शिक्षा कार्यक्रम को कार्यावित करती है। बोर्ड के प्रशिक्ष ﾉ ा ʌ ार्य ʌ, मों ʌ ा मु ७ य उद्देश्य ʌ ाम ʌ ाजी ज-ासं ७ या ʌ` सभ्ी व ३ ाों में जा ३ ारू ʌ ता उत्पन्न ʌ राा है। बोर्ड प्रशि ƒ ा ﾉ ा ʌ ार्य ʌ, मों ʌ ा आयोजा ʌ रता है, जो सं ३ ाठित, असं ३ ाठित, ३ ्रामी ﾉ ा और आौपचारि ʌ व ३ ाों ʌ` ʌ ाम ३ ाारों ʌ ो ʌ वर ʌ रते हैं। संयुक्त शि ƒ ाा ʌ ार्य ʌ, मों ʌ` माध्यम से संव ३ ाों ʌ ो भी ʌ वर ि ʌ या जाता है।

1.51 ‡स ʌ ा मु ७ यालय ाा ३ ापुर में स्थित है और देशभर में बोर्ड ʌ` 49 ƒ ोत्रीय तथा 9 उप ƒ ोत्रीय ादिेशालयों ʌ ा ाेटवर्क फैला हुआ है। दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, मुम्बई, और चेन्नई में स्थित 5 जो-ाल ादिेशालय इा ादिेशालयों की ग ातिविधियों को मााीटर करते हैं ।

1.52 बोर्ड ो श्रम और रोजगार मंत्रालय के आुमोदा से जावरी, 2005 माह के दौराा गुवाहाटी में एक ाए जोाल ादिेशालय की स्थापाा की है और इसो देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बोर्ड के कार्यकलापों को मॉ-ाीटर करो के लिए फरवरी, 2005 माह से कार्य कराा आंरभ कर दिया है।

1.53 बोर्ड के पास बोर्ड के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा केद्रीय श्रमिक संघ संगठा और परिसंघों, स्वैच्छिक संगठाों के कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय स्तर ʌ` प्रशि ƒ ा ﾉ ा ʌ ार्य ʌ, म आयोजित ʌ रो ʌ` लिए 1970 में मुम्बई में स्थापित एʌ सर्वोच्च स्तरीय प्रशि ƒ ा ﾉ ा संस्थाा-भारतीय श्रमि ʌ शि ƒ ाा संस्थाा है।

1.54 1970 से ावम्बर, 2005 त ʌ बोर्ड ो 16091 प्रतिभाि ३ ायों ʌ` लिए अल ३ ा-अल ३ ा अवधि ʌ` 640 ʌ ार्य ʌ, मों ʌ ा आयोजा ि ʌ या है।

1.55 †रंभ से ावम्बर, 2005 त ʌ सं ३ ाठित, असं ३ ाठित और ३ ्रामी ﾉ ा ƒ ोत्रों में बोर्ड ो 1,01,44,497 ʌ ाम ३ ाारों ʌ` लिए विभिन्न अवधियों ʌ`

342841 ^ ार्य ^ मों ^ ा आयोजा ि^ या है।

1.56 ‡स ^` अलावा वर्ष 2004-2005 बोर्ड ^ ो ^ मश: 2.00 ^ रोड़ रुपये और 2005-2006 ^` लिए भी 2.00 ^ रोड़ रुपये ^` अतिरिक्त परिव्यय ^` साथ श्रम और रोज ॆ ाार मंत्रालय, भारत सर ^ ार द्वारा सौंपे ॆ ाए श्रम ^ ल्या ॅ ा और वि ^ ास ^` ाए डिजाइा ि^ ए ॆ ाए ^ ार्य ^ मों ^` माध्यम से बोर्ड विभिन्न ^ ल्या ॅ ा स्^ ीमों ^` बारे में औपचारि ^ ॅ ात्र ^` ^ ाम ॆ ाारों में जा ॆ ारू ^ ता उत्पन्न ^ रता है। ^ ार्य ^ म ^` शुरूआत अर्थात् अप्रैल, 2003 से ावम्बर, 2005 त ^ बोर्ड ो 1,02,962 ^ ाम ॆ ाारों ^` लिए 2635 ^ ार्य ^ मों ^ ा आयोजा ि^ या ।

श्रम सांिॅय^ ी

1.57 ाीति संबंधी ाि ॅ ािय लो ^` लिए श्रम ॆ ातिविधियों ^` विभिन्न पहलुओं से संबंधित यही और स मयोचित तथा विस्तृत सांि ॅ य ^ ी एवं आुसंधाा ^` महत्व पर बहुत अधि ^ जोर ाहीं दिया जााा चाहिए। औद्योिॆ ा ^ ^ ाम ॆ ाारों ^` लिए उपभोक्ता मूल्य सूच ^ ां ^ , जिससे सर ^ ारी ^ र्मचारियों आदि ^` मंह ॆ ााई भत्ते ^ ा ािर्धारण किया जाता है, को वर्तमाा में श्रम ब्यूरो द्वारा दो दशक पुराो आधार (1982=100) पर संकलित किया जाता है। कीमत और ािर्वाह व्यय के आंकडे संबंधी तकीकी सलाहकार समिति (एस पी सी एल संबंधी टी ए सी) द्वारा आु मोदित औद्योगिक कामगार (उ. मू.सू.-औ. का.) (संशोधित आधार 2001=100) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की ायी श्रृंखला जारी करो के लिए श्रम ब्यूरो, शिमला में 19-20 मई, 2005 को राष्ट्रीय स्तर प्रयोक्ताओं ^ ी बैठ ^ ^ ा आयोजा ि^ या ॆ ाया था। यह -ायी श्रृं ॅ ाला अधि ^ प्रति-ाधित्व स्वरूप और औद्योिॆ ा ^ ^ ाम ॆ ाारों ^` ावीतम उपभोक्ता रूझाा ^ ो दे ॅ ाते हुए पुराी श्रृं ॅ ाला से बेहतर है। यह भी सूचित ि^ या ॆ ाया था ि^ विद्यमाा श्रृं ॅ ाला ^` 70 ^`द्रों ^ ी तुलाा में 2001 श्रृं ॅ ाला में ^ ुल 78 ^`द्र शामिल ि^ ए ॆ ाए हैं और बाजारों ^ ी सं ॅ या पूर्व श्रृं ॅ ाला में 226 से बढ़ ^ र 289 हो ॆ ायी है। परिवार आय

और व्यय सर्वे ाण करो के लिए ामूाा आकार 32616 बढ़ क र 41040 परिवार हो गया है। उपभोक्ता की बास्कैट 1982 श्रृंखला में 260 की तुलाा में 370 मद तक बढ़ गयी है।

1.58 ाियोक्ता संगठाों, केद्र और राज्य सरकारों के प्रतिाािधियों, भारतीय रिजर्व बैं ∧ इत्यादि ो उ.मू.सू.-औ. ∧ ा. (आधार 2001=100) ∧ ी ायी श्रृं ाला तत ∧ ाल जारी ∧ रो ∧ ा आुरोध ि∧ या । ∧ ा म ाार सं ाठाों ∧ ॆ प्रतिाािधियों ो उ.मू.स.-औ. ∧ ा. (आधार 2001=100) ∧ ी ायी श्रृं ाला लाो में श्रम ब्यूरो और एस पी सी एल संबंधी टी ए सी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहाा की। तथापि, राष्ट्रीय स्तर प्रयोक्ता बैठक में भाग लो वाले केद्रीय श्रमिक संघ सदस्यों ो भविष्य में सूचकांक समेका की सभी अवस्थाओं में शामिल रहो की इच्छा व्यक्त ∧ ी है।

1.59 ‡स ∧ ॆ साथ-साथ उ.मू.सू.-औ.∧ ा. (आधार 2001=100) ∧ ी ायी श्रृं ाला जारी ∧ रो पर चर्चा ∧ रो हेतु ∧ ॆद्रीय श्रमि ∧ संघ ∧ ॆ प्रतिाािधियों ∧ ी एं∧ बैठ ∧ 9 सितम्बर, 2005 ∧ ो हुयी थी, जिसमें एस पी सी एल संबंधी टी ए सी में सभी केद्रीय श्रमिक संघ संगठाों ओर सभी ाियोक्ता संगठाों के प्रतिाािधियों के लिए प्रत्येक से तीा प्रतिाािधियों को भाग लो की इच्छा व्यक्त की गयी थी। तदाुसार पुार्गठा के बाद एस पी सी एल संबंधी टी ए सी की बैठक ायी श्रृंखला जारी करो के लिए आयोजित की जाएगी।

1.60 श्रम ब्यूरो की वेबसाइट http://WWW.:Labourbureau.nic.in और साफ्टवेयर सिस्टम को नियमित रूप से विकसित और अद्यतन किया जाता है । प्रत्येक वर्ष श्रम सांख्यिकी पर केन्द्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ।

1.61 मंत्रालय ने 10वीं योजना के दौरान श्रम कल्याण और विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। बाल श्रम उन्मूलन, बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास और कौशल उन्नयन को विशेष महत्व दिया जा रहा है। **चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं:** वर्तमान भारतीय तकनीकी संस्थानों को 'उत्कृष्टता के केन्द्रों' के रूप में उन्नत करना और उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम और जम्मू तथा कश्मीर में नए भारतीय तकनीकी संस्थान स्थापित करना ।

1.62 श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए 10वीं योजना के दौरान 1500/-करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से वर्षवार परि

व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है, वर्ष 2002-2003 के लिए 170/-करोड़ रुपये (बजट आकलन) तथा 125.00 करोड़ रुपये (संशोधित आकलन) और वर्ष 2003-2004 के लिए 170.00 करोड़ रु. (बजट आकलन) और 125.00 करोड़ रु. (संशोधित आकलन) और वर्ष 2004-2005 के लिए 183.00 करोड रुपये (बजट आकलन) तथा 165.00 करोड़ रुपये (संशोधित आकलन)रहा है। वर्ष 2002-2003 के लिए योजना व्यय 171.71 करोड़ रुपये और 2003-2004 के लिए 124.01 करोड़ रुपये और 2004-2005 के लिए 151.74 करोड़ रुपये रहा जो कि संशोधित आकलन परि व्यय का क्रमशः 94.17 प्रतिशत 99.21प्र ातिशत और 91.96 प्रतिशत था । वर्ष 2005-2006 के लिए परिव्यय 232.48 करोड़ रु. (बजट आकलन) है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

1.63 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 93वां सत्र 31 मई से 16 जून, 2005 तक आयोजित किया गया। जिसमें पश्चिम बंगाल के माननीय श्रम मंत्री श्री मुहम्मद अमीन के नेतृत्व में एक 22 सदस्ययी त्रिपक्षीय भारतीय शिष्टमंडल ने भाग लिया । श्री जी विनोद, श्रम मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार भी शिष्टमंडल के एक सदस्य थे।

1.64 भारत सरकार के निमंत्रण पर जन वादी गणतंत्र चीन के श्रम और सामाजिक कार्य उप मंत्री के नेतृत्व में एक छः सदस्यीय दल ने 24 से 26 अक्तूबर, 2005 तक भारत का दौरा किया । भारत सरकार और जनवादी गणतंत्र चीन की सरकार के बीच 25 अक्तूबर, 2005 को रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा में सहयोग हेतु भारत चीन समझौते को पुनः तीन वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वी.वी.जी.एन.एल.आई.)

1.65 जुलाई, 1974 में स्थापित वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्‍वायत्त निकाय है, श्रम के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है। संस्थान में अन्यों के साथ, मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:-

- प्रशिक्षण तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों, सेमीनारों और कार्यशालाओं के आयोजन में सहायता प्रदान करना;

- स्वयं तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार की अन्य एजेंन्सियों के सहयोग से अध्ययन करना, सहायता प्रदान करना, उन्हें प्रोत्साहन देना तथा समन्वय करना ;

- निम्नलिखित के लिए प्रकोष्ठों की स्थापना करनाः

  - शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास;
  - अनुसंधान, कार्रवाई अनुसंधान सहित ;

- परामर्श; तथा
- प्रकाशन और अन्य ऐसे क्रियाकलाप जो समाज के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अकादमी

1.66 नाटरस का प्रशासन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किया जाता है। यह संस्थान मूल रूप से श्रम कल्याण, श्रम मानकों, सामाजिक सुरक्षा, कार्मिक प्रबंधन तथा औद्योगिक संबंधों पर विभिन्न अनुसंधान अध्ययनों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। प्रशिक्षकों और संकाय सदस्यों में गैर-सरकारी संगठनों के व्यावसायिक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय की इकाइयों के अधिकारी, तथा अफ्रीका, एशिया तथा सुदूरवर्ती पूर्व में विभिन्न देशों के श्रम संस्थानों और सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं ।

रोजगार और प्रशिक्षण

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय की गतिविधियाँ

1.67 व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार समवर्ती विषय होने के कारण केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों इस के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। जहाँ केन्द्र सरकार नीतियों, प्रक्रियाओं, मानकों, प्रतिमानकों का निर्धारण, संबंधन, मार्गदर्शी सिद्धान्त, व्यवसाय परीक्षा आयोजित करने तथा प्रमाणीकरण करने हेतु उत्तरदायी है वहीं व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्यान्वयन तथा रोजगार कार्यालय का प्रशासन संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रदेश के पास है। अधिकतर राज्यों में रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय राज्य की राजधानी में स्थित हैं। इन गतिविधियों के +ह्यांह्मह्यःH, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय विशेष लक्षित समूह की प्रशिक्षण मांग की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थान भी चला रहा है।

500 विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का "उत्कृष्ट केन्द्रों" के रूप में उन्नयन

1.68 केंद्रीय वित्त मंत्री ो अपो बजट भाषण 2004-2005 में देश के 500 आई टी आई के उन्नया की घोषणा की थी। तदुपरांत वित्त मंत्रालय की सलाह पर 100 आई टी आई का उन्नया घरेलू संसाधाों से और 400 आई टी आई का उन्नया विश्व बैंक की सहायता से करो की कार्रवाई आरंभ की गयी है।

1.69 'रेलू संसाधाों से वित्तपोषित होो वाले उक्त 100 आई टी आई को 26 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (जम्मू और कश्मीर, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा) में इा राज्यों के सरकारी आई टी आई की संख्या के आुपात में बांटा गया है। इस योजाा की कुल लागत 160 करोड़ रु. है, वित्त मंत्रालय की सलाह आुसार 75:25 के आुपात को देखते हुए केंद्र का अंशदाा 120 करोड़ रु. है।

1.70 इस योजाा उद्देश्य विश्व स्तर का बहु-कौशल कार्यबल तैयार करो हेतु विद्यमाा 100 आई टी आई का "उत्कृष्ट केद्रों" के रूप में उन्नया कराा है। योजाा की विशेषताएं हैं प्रथम वर्ष के दौराा बहु-कौशल पाठ्यक्रमों का आरंभ किया जााा उसके बाद द्वितीय वर्ष में प्रशिक्षण के हर पहलु में उद्योग का और अधिक और सक्रिय भागीदारी सुाि‍श्चित करो के लिए संस्थाा प्रबंधकीय समिति (आई एम सी) के रूप में उद्योग वार संख्याबहुल दृष्टिकोण, बहु प्रविष्टि और बहु-ाकासी प्रावधाों को अपााते हुए उन्नत/विशिष्ट माड्यूलर पाठ्यक्रम हैं।

†ाौपचारिक साधनों के माध्यम से प्राप्त क ौशल का परीक्षण एवं प्रमाणीकरण

1.71 अनौपचारिक साधनों के माध्यम से प्राप्त "कौशलों का परीक्षण एवं प्रमाणीकरण" नामक एक नई योजना पायलट आधार पर आरंभ की गई है। आरंभ में, इस कार्यक्रम में लगे निर्माण उद्योग विकास परिषद् (सी आई डी सी) नामक एक अभिकरण ने अभी तक 7500 निर्माण कामगारों का परीक्षण एवं प्र माणीकरण किया है। 44 कौशल क्षेत्रों हेतु सक्षमता मापदंड विकसित किए हैं। कुछ अन्य कौशल क्षेत्रों हेतु भी सक्षमता मापदंड विकसित किए जा रहे हैं।

सार्वजनिक निजी भागीदारी

1.72 23 राज्यों को शामिल करते हुए समग्र संख्या को 480 तक बढ़ाते हुए 170 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त संस्थान प्रबंधन समितियों का गठन करके सार्वजनिक निजी भागीदारी की गई है।

शिल्पकार प्रशिक्षण के तह्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से आरंभ किए गए नए व्यवसाय

1.73 पशु पालन एवं डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय के अनुरोध पर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन सी वी टी) के तहत "मैरीन फीटर" तथा "वेसल नेवीगेटर" नामक दो नए व्यवसायों की पाठ्यचर्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आई) के माध्यम से क ार्यान्वित शिल्पकार प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 20.08.2004 से आरंभ की गई ह्र । पाठ्यक्रम के पूर्ण हो जाने पर प्रशिक्षु विशाल मत्स्य पोतों को प्रबंधित करने तथा तटीय प्रतिष्ठानों में सहायता देने हेतु व्यावसायिक रूप से कुशल व्यक्ति होंगे।

•ाम्मू व कश्मीर और पूर्वोत्तर तथा सिक्किम में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

1.74 रोजगार और प्रशिक्षण महाादिशालय पहचाा किए गए कौशल क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण हेतु मूलभूत सेवाएं तैयार और विकसित करते हुए उद्योग, सेवा क्षेत्र स्व-रोजगार इत्यादि के लिए गुणवत्ता और मात्रात्मक दोाों प्रकार की जाशक्ति आवश्यकता की पूर्ति के प्रमुख उद्देश्य से "पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में ाए आई टी आई की स्थापाा" ाामक केद्र द्वारा प्रायोजित योजाा (सी एस एस) चला रहा है। इस योजाा में पूर्वोत्तर राज्यों में 22 ाए आई टी आई की स्थापाा और

विद्यमाा 35 आई टी आई को सुदृढ़ क रो/आधुाीक बााे का विचार है। क्रियावया पूरा होो पर आई टी आई क ी सीट क्षमता विद्यमाा 7244 से बढ़कर 16144 हो जाएगी। इस योजाा में पूर्वोत्तर क्षेत्र के संकाय/प्रायोजित उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए तकाीकी सहायता भी प्रदाा की जाती है।

1.75 सी एस एस का कुल परिव्यय 100 क रोड़ रुपये है। यह योजाा अब जम्मू और कश्मीर पर अय सी एस एस परियोजाा के साथ मिलायी जा रही है और लागू किए जाो की अंतिम तिथि 31.3.2007 तक बढ़ा दी गयी है।

व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण (एा.सी.ओ) का संशोधा

1.76 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा अपने यहां व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण-1968 में संशोधन से संबंधित एक बड़ा अभियान चलाया गया और इसे अंतिम रूप दिया गया। यह वर्गीकरण, अंतरराष्ट्रीय मानक वर्गीकरण-1988 के अनुसार किया ग ाया है। पहली बार अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसायों पर व्यापक रूप से विचार किया ग ाया। संशोधित व्यवसायों के वर्गीकरण को अंतिम रूप दिया गया व इस प्रयोजनार्थ गठित विषय निर्वाचन समिति द्वारा इसे अनुमोदन प्रदान किया गया।

विद्यमान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु अध्यापन-सह-मार्गदर्शन क ेन्द्रों में नए पाठ्यक्रमों का आरंभ

1.77 "विद्यमान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों में नए पाठ्यक्रमों का आरंभ" नामक एक योजना निजी प्रतिष्ठित कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से छह माह के कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 480 शिक्षितों को कम्प्यूटर में प्रशिक्षित करने के लिए आरंभ की गई। दिल्ली, जयपुर, सूरत, बंगलौर, जबलपुर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर, हिसार, भुवनेश्वर एवं गुवाहाटी के 12 केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिया गया।

100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रॉनिक अनुरक्षण प्रणाली व्यवसाय का आरंभ

1.78 सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए कुल 11.70 करोड़ रूपये के बजट से रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारह्म संयुक्त रूप से 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में "सूचना प्रौद्योगिकी व इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम अनुरक्षण (आई टी एण्ड ई एस एम)" नामक व्यवसाय आरंभ करने की एक योजना प्रस्तुत की गई। स्थाई वित्त समिति (एस एफ सी) ने योजना क ो अनुमोदन प्रदान कर दिया है। योजना के अंतर्गत पांच संघटक शामिल किए गए हैं और योजना के अंतर्गत कार्य पहले ही पूरा क र लिया गया है।

संघटक बजट का नाम

(रूपये लाख में)

1.	उपकरण की	1000

	अधिप्राप्ति	
2.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	45
3.	पाठ्यसामग्री का विकास	20
4.	प्रबोधन एवं स मीक्षा	50
5.	† ाकस्मिक व्यय	55
	कुल 1170-	